

Ref.: RJI/OFC/NLD/EAST UP/FATEHPUR/FOREST/01

Date:- 23.07.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

विषय: जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी0 0.00 से 22.00, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी0 0.00 से 36.00, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी0 0.00 से 15.50, बिन्दकी से ललौली किमी0 (लिंग एस0एच0-46) 0.00 से 9.50 एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी0 195 से 207 तक (कुल किमी0 95.00) के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल 0.9842 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में। आनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Others/26800/2017

सन्दर्भ: आपका पत्रांक संख्या- 3298/27-4, फतेहपुर, दिनांक- 23.05.2022 व 2846/27-4, फतेहपुर, दिनांक- 15.02.2018 एवं विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0- पी-148/14-2-2017-800(153)/2017, दिनांक- 12.02.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक- 2379/11-सी- FP/UP/Others/26800/2017 दिनांक- 13.02.2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक-12.02.2018 में अंकित समस्त शर्तों की टेबुलर फॉर्म में अनुपालन आख्या का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/ मार्गों/सड़कों/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
3	उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच, एच0डी0डी0 तकनीकी द्वारा किया जाएगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाली ट्रेंच, एच0डी0डी0 तकनीकी द्वारा ही की जाएगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।



Reliance Jio

Infocomm Limited

7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
9	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद-शमशाबाद-आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रु0 10900000/- (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है जिसका प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव भी संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल् ब्राडबैंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियो इंफोकाम लि0 है)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-III(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	याचक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 - एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

Formerly, Infotel Broadband Services Limited"

Local Office Address:- Rohtas 'K' Trident, 2nd Floor, 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001



Reliance Jio

Infocomm Limited

16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
17	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
बिन्दू सं0 - 03	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास इस कार्य के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने का कृपा करे।

भवदीय,
कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Formerly, Infotel Broadband Services Limited"

Local Office Address:- Rohtas 'K' Trident, 2nd Floor, 10-Rana Pratap Marg, Lucknow-226001

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

(पंकज खरे (प्रबन्धक))

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-२

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे – किनारे ही बिछायी जायेगी।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-३

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाली ट्रेंच, एच०डी०डी० तकनीकी द्वारा ही की जाएगी।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० 0.00 से 22.00, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० 0.00 से 36.00, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० 0.00 से 15.50, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-46) 0.00 से 9.50 एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० 195 से 207 तक (कुल किमी० 95.00) के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल 0.9842 हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/26800/2017

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-4

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० 0.00 से 22.00, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० 0.00 से 36.00, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० 0.00 से 15.50, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंग एस०एच०-46) 0.00 से 9.50 एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० 195 से 207 तक (कुल किमी० 95.00) के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल 0.9842 हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/26800/2017

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-5

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-६

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-७

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंग एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-८

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

२५

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंग एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-९

याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या ३५४४/१४-२-२००८ लखनऊ दिनांक २३ अगस्त २००८ के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद-शमशाबाद-आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई २० कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू० १०९०००००/- (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं० ३००२४६ दिनांक ८.११.२०१३ को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव भी संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेक ब्राडबैंड लि० था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियो इंफोकॉम लि० है)।

२५

कृते रिलायन्स जियो इंफोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इंफोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१०

याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-११

याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेशी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंग एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१२

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१३

याचक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम २००६ के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंग एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१४

याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१५

याचक विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१६

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कृते रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंग एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-१७

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-०३

याचक विभाग के पास इस कार्य के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरेट (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

H bForm-1

(For Linear Projects)

Govt. of Uttar Pradesh

Office of the District Collector, Fatehpur (U.P.)

No. 1625

Dated: 8/11/17

To Whomsoever It May Concern

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF), Government of India letter No. - 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August, 2009 and dated 5th February, 2013 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ("FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modification of above said letter, MoEF exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers in case of linear projects vide-ministry-of-environment and forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 28-10-2014.

It is further certified that -

- a) An area of 0.9842 Hectare of protected forest land is proposed to be diverted for non-forestry purpose in favor of Reliance Jio Infocomm Ltd., for laying of OFC along with below roads ROW in Social Forestry Division of Lalitpur district.
 1. At Km. 0.00 to Km. 22.00 (Fatehpur to Joniha Marg), Km. 0.00 to Km. 36.00 Jonhia to Amoli (Sathigawan Road) & Km. 0.00 to Km. 16.00 Bindki to Fatehpur Marg (ODR), Km. 6.00 to Km. 15.00 Chaugdra to Bindki Marg (MDR-15) & Ganga Bridge to Fatehpur road on SH-13 Km 195.00 to 207.00 Total 95.00 Km. & 0.9842 Ha. in Social Forestry Division Fatehpur, District: Fatehpur - UP. of protected forest land.
- b) The proposal does not affect the recognized rights and interests of primitive Tribal Groups or Pre Agricultural Communities, as those are having no recorded population in the above stated region of the protected forest land.
- c) The forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 is located in villages having no recorded population of Scheduled tribes as per census 2001 and the census 2011. The requirement of forest land as proposed by the user agency is barest minimum.

पंकज खन्ना (सहस्रक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ


District Magistrate
(KUMAR PRASHANT)
DISTRICT MAGISTRATE,
FATEHPUR

10-31/2011-CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20 - Ashoka Road
New Delhi - 110001

Dated: 23.06.2011

To

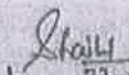
**M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED
C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA,
MOHALI-160055, PUNJAB**

Subject: Registration Certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

Please find enclosed herewith the Registration Certificate No. 370 / 2011 dated 23.06.2011 issued to **M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED**.

The following points should be noted for strict compliance by IP-I Provider:

- (i) The scope of IP-I provider is limited to establish and maintain assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis only to the licensed Telecom Service Providers licensed under Section - 4 of Indian Telegraph Act, 1885, on mutually agreed terms and conditions.
- (ii) The IP-I provider has to submit to DoT a copy of agreement entered into with the licensed Telecom Service Providers within 15 days of signing such agreement.
- (iii) Any breach of the terms and conditions given in the enclosed Registration Certificate will lead to cancellation of the registration without any further notice.


23.06.2011
S.K. Singh
Section Officer (CS-III)

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

10.31/2011-CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20, Ashoka Road
New Delhi-110001

Registration Certificate No.: 370 / 2011

Date: 23.06.2011

Registration Certificate For Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

This is to certify that M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED with registered office at C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA, MOHALI-160055, PUNJAB is registered as Infrastructure Provider Category I (IP-I) to establish and maintain the assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis to the licensees of Telecom Services licensed under Section 4 of Indian Telegraph Act, 1885 on mutually agreed terms and conditions.

2.0 In no case the company shall work and operate or provide telegraph service including end to end bandwidth as defined in Indian Telegraph Act, 1885 either to any service provider or any other customer.

3.0 The company shall submit a copy of an Agreement entered into with the other service providers including Infrastructure Provider Category II (IP-II) within 15 days of signing of such Agreement.

4.0 The company shall provide the said infrastructure in a non-discriminatory manner.

5.0 In the event of any question, dispute or difference arising under this Registration, or in connection thereof, except as to the matter, the decision of which is specifically provided elsewhere under this Registration, the same shall be referred to the sole Arbitrator appointed and nominated by the Director General Telecommunications or by whatever designation Director General Telecom may be called, hereinafter called the "ARBITRAL TRIBUNAL".

5.1 This Registration Certificate and any dispute thereof shall be governed by the substantive provisions of Indian law.

5.2 The venue of Arbitration shall be New Delhi or as may be fixed by the ARBITRAL TRIBUNAL anywhere in India.

5.3 The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and rules framed thereunder or any modifications or re-enactment thereof made from time to time.

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
राखनरू

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
राखनरू

6.0 The Registered company can provide the infrastructure as stated above to any licensee of Telegraph services Licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act 1885. The company shall, in no case, grant in any manner the infrastructure to any erstwhile Licensee whose licence is either terminated or suspended or not in operation at given point of time. In the event of any infrastructure allowed before hand, then the Registered company shall be obliged to withdraw the grant of infrastructure and to disconnect or sever connectivity immediately without loss of time and further, upon receipt of any reference from the Licensor in this regard, disconnection shall be made effective within an hour of receipt of such reference. On the question of disconnection the decision of the Director General Telecom shall be final.

7.0 The Registered company shall provide necessary facilities depending upon the specific situation at the relevant time to the Government to counteract espionage, subversive act, sabotage or any other unlawful activity.

7.1 The Registered company shall make available on demand to the agencies authorized by the Government of India, full access to the network for technical scrutiny and for inspection which can be visual inspection or any operational inspection.

7.2 All foreign personnel likely to be deployed by the Registered company for installation, operation and maintenance of the Registered company network shall be security cleared by the Government of India prior to their deployment. The security clearance will be obtained from the Ministry of Home Affairs, Government of India, who will follow standard norms in the matter.

7.3 The Registered company shall ensure protection of privacy of communication and ensure that unauthorized interception of messages does not take place.

7.4 The Government shall have the right to take over the equipment and networks of the Registered company or revoke/terminate/suspend the Registration of the company either in part or in whole as per directions if any, issued in the public interest by the Government in case of emergency or war or low intensity conflict or any other eventuality. Provided any specific orders or direction from the Government issued under such conditions shall be applicable to the Registered company and shall be strictly complied with. Further, the Government reserves the right to keep any area out of the operation zone of the service if implications of security so require.

7.5 Government reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest.

7.6 The Registered company will ensure that the Telecommunication installation carried out by it should not become a safety hazard and is or in contravention of any statute, rule or regulation and public policy.

8.0 Any breach of the above terms will lead to cancellation of the registration without any further notice.

To
M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED
C-157, PHASE-VII, INDUSTRIAL AREA, MOHALI-160055, PUNJAB


21.6.2011
(S.T. Abbas)
DIRECTOR (CS-III)

निदेशक (सी.आई.)
Director (CS-III)
Telecom. & Telecom. Govt. of India
नई दिल्ली New Delhi

पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

पंकज खेर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

भारत सरकार-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई

नाम परिवर्तन के पश्चात नया निगमन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U72900MH2007PLC234712

मैसर्स INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

के मामले में, मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स
INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

जो मूल रूप में दिनांक पंद्रह फरवरी दो हजार सात को कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत मैसर्स
INFOTEL BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED

के रूप में निगमित की गई थी, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 की शर्तों के अनुसार विधित आवश्यक दिशिक्षण प्राप्त करके तथा
लिखित रूप में यह सूचित करके की उसे भारत का अनुमोदन, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के साथ पठित, भारत सरकार, कम्पनी कार्य
विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 507 (अ) दिनांक 24.06.1985 एस्.आर.एन. B66053604 दिनांक 22/01/2013 के द्वारा
प्राप्त हो गया है, उक्त कम्पनी का नाम आज परिवर्तित रूप में मैसर्स
Reliance Jio Infocomm Limited

हो गया है और यह प्रमाण-पत्र, कथित अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र मुंबई में आज दिनांक बाईस जनवरी दो हजार तेरह को जारी किया जाता है।

GOVERNMENT OF INDIA - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS,
Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai

Fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Change of Name

Corporate Identity Number : U72900MH2007PLC234712

In the matter of M/s INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED

I hereby certify that INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED which was originally incorporated on Fifteenth day of February Two Thousand Seven under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) as INFOTEL BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under Section 21 of the Companies Act, 1956, read with Government of India, Department of Company Affairs, New Delhi, Notification No. G.S.R. 507(E) dated 24/06/1985 vide SRN B66053604 dated 22/01/2013 the name of the said company is this day changed to Reliance Jio Infocomm Limited and this Certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given at Mumbai this Twenty Second day of January Two Thousand Thirteen.

Signature of
Registrar of Companies,
Maharashtra, Mumbai

Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai

कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई

*Note: The corresponding form has been approved by ANURADHA BHASKAR ATHAVALE, Deputy Registrar of Companies and this certificate has been digitally signed by the Registrar through a system generated digital signature under rule 5(2) of the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006.

The digitally signed certificate can be verified at the Ministry website (www.mca.gov.in).

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

Reliance Jio Infocomm Limited
3rd Floor, Maker Chambers IV., 222, Nariman Point.,
Mumbai - 400021,
Maharashtra, INDIA

For Reliance Jio Infocomm Limited

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ



पंकज खरे (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

प्रेषक,

संख्या-3678/14

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

2-मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक

20 अक्टूबर, 08

विषय:- आप्टिकल फाइबर केबिल का बिछाये जाने के दौरान 20 किमी०
कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-2544/14-2
दिनांक 23-8-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वन विभाग में भुले जाने पर करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 23-8-2008 एवं 12-11-2008 में ओपनसीड बिछाये जा करपत्रियों से 20 किमी० लीन लाइनों में वृक्षारोपण प्रदेश के किसी एक स्थान पर करवाये जाने की शर्त लगायी गयी थी। सम्प्रति शासन के संज्ञान में यह आरक्षित प्रभागों द्वारा प्रत्येक विस्तीर्ण वर्ष में 20 किमी० लीन लाइनों में वृक्षारोपण की मांग सम्बंधित करपत्रियों से की जा रही है, जो निर्गत शासनवादेश 23-8-2008 एवं 12-11-2008 के अधीन है।

3- जहाँ इस संबंध में पुनः सूझ करने का निर्देश हुआ है कि ओपनसीड बिछाये जाने वाली प्रत्येक करपत्री को केवल एक ही बार (One Time) 20 लीन लाइनों में वृक्षारोपण प्रदेश के किसी एक स्थान पर कराया जाना होगा। के अनुसार प्रदेश में किसी एक स्थान पर वृक्षारोपण कराये जाने के पश्चात् उस कार्य करने हेतु अपेक्षा नहीं की जायेगी।

4- कृपया तदनुसार सर्वसम्बंधित को अपने स्तर से भी सूचित करने व करें।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)-समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(2)-समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(3)-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

(4)-गार्ड फाइल।

पंकज खन्ना (संबन्धक) आज्ञा से,
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

संख्या- 4662-14-2-2008

प्रेषक,

पवन कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 12-11-08

विषय:- ओ०एफ०सी० बिछाये जाने के दौरान 20 कि०मी० वृक्षारोपण कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-2544/14-2-08 दिनांक 23-सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त 23-8-08 द्वारा प्रत्येक कम्पनी से प्रदेश में एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइन सुनिश्चित कराने के निदेश निर्गत किये हैं । उक्त शासनादेश निर्गत के पूर्व ओ०एफ०सी० की अनुमति सम्बन्धी प्रत्येक शासनादेश में 20 कि०मी० वृक्षारोपण किये जाने की शर्त सा अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 23-8-08 के स्तर से निर्गत शासनादेश भी इस शासनादेश से ही आच्छादित होंगे तथा उन्हें भी पूरे प्रदेश जगह 20 कि०मी० वृक्षारोपण तीन लाइन में लगाया जाना होगा । अर्थात् प्रत्येक ओ०एफ०सी० वाली कम्पनी को पूरे प्रदेश में एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइन में वृक्षारोपण कराया जा 3- कृपया उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(पवन कुमार)

सचिव

संख्या-

/14-2-2008 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० ।
- 2- समस्त वन संरक्षक, उ०प्र० ।
- 3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०
- 4- गार्ड फाइल ।

वापस लिखें

2059/22-1
2-11-08

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
सचिव

पंकज खर (प्रबन्धक)

रिलायन्स जिन्वो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 2424 /5-1

दिनांक : आगरा :

28, जनवरी, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०।

विषय : जनपद आगरा में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के अन्तर्गत 20 कि०मी० क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि का सत्यापन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक RJIL/OFC/NLD/WEST/UP/AGRA/FOREST/01 दि० 21.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा 20 कि०मी० क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-846850 एच०डी०एफ०सी० बैंक, आगरा रू० 1,09,00,000.00 (रू० एक करोड़ नौ लाख मात्र) दिनांक 03.05.2012 इस कार्यालय द्वारा कोषागार में जमा नहीं किया गया है। अपितु आपके पत्रांक रिक्त दिनांक 08.11.2013 द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-300246 एच०डी०एफ०सी० बैंक, आगरा रू० 1,09,00,000.00 (रू० एक करोड़ नौ लाख मात्र) दिनांक 08.11.2013 इस कार्यालय द्वारा दिनांक 08.11.2013 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, आगरा में जमा किया गया है।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक

/

दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फैजाबाद को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Reliance Jio
Infocomm Limited

Date 8/11/13

To

Prd. Agt.

Sub Reference to our application for laying OFC from

To 20 km Plantation for total length of Km in your jurisdiction

Ref Your Demand Note letter no

Dated

Dear Sir,

Reference the subject, herewith, we are enclosing the following payments.

1 DD amount Rs 10900000 DD No. 300246 Dated 8/11/13 Issuing

Bank JIOFC Issued in favour of PRADHAGIYA NIDES PWA
SANJEEV VANI PRABH A

2 Bank Guarantee Issued in favor of

Rs valid till Date Issuing Bank

Note Kindly Acknowledge the same on a Duplicate Copy.

Reliance Jio Infocomm Limited

8/11/13, Authorized Signatory



पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

For further communication please contact Mr. Sanjeev Pathak 02010246569

170 HSI, 7/B, Lower Ground, BECO Road, Sector -18, Gurgaon, Haryana 122015, INDIA Email ID: Sanjeev.pathak@jiofc.com

HDFC BANK

Cash Management Services - Payments

MAIL TO

PRABHAGIYA NIDESHAK SAMAJIK VANIKI PRABHAG, AGRA

BY ORDER OF

RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED

Reliance Corporate Park,
Gr Floor.MAB, 5-TTC industrial
area,Ghansoli, NAVI Mum - 701

Instrument Date : 08/11/2013

Instrument No.: 300246

Amount Rs.*1,09,00,000.00

4200030956

HDFC BANK

PAYINST DRAFT

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

PRABHAGIYA NIDESHAK SAMAJIK VANIKI PRABHAG, AGRA

ON DEMAND PAY

ONE CRORE NINE LAKHS ONLY

RUPEES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OF ORDER
₹ 1,09,00,000.00

FOR HDFC BANK LTD.

Payable at Par at all Clearing Branches
of HDFC Bank Ltd. in India.

Centralised Clearing :Agra

DRAWEE BRANCH

300246

ISSUING BRANCH

AUTHORISED SIGNATURE
Date: 08/11/2013

पंकज खरन (प्रबन्धक)

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

300246 00024000001 999998 16

जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे आर्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या – एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/२६८००/२०१७

सेन्चूरी/वन जीव बिहार हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर में फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चकेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५.०० से २०७.०० तक, कुल कि.मी. ९५.०० एवं ०.९८४२ हे० पर फतेहपुर सामाजिक वानिकी प्रभाग में आर्टिकल फाईबर केबिल (ओ०एफ०सी०) डालने हेतु प्रस्तावित निर्माण स्थल के १० कि०मी० की परिधि के अन्दर कोई भी सेन्चूरी/वन जीव बिहार स्थापित नहीं है।

कृते रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
पंकज खर (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता